

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
निविदा सूचना

क्रमांक : एचसी/एसके/2018-19/269

दिनांक :09.08.2018

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्थान उच्च न्यायालय, में कार्यरत वाहन चालकों, जमादारों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों को वर्दी उपलब्ध करवाई जानी है, इस उद्देश्य से निम्नलिखित सामग्री क्रय करने हेतु दरों के सम्बन्ध में मोहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	मात्रा	अनुमानित मूल्य	अमानत राशि
1.	Bata Super Stride Shoes Black No. 824-6158	184 जोड़ी	2,10,500 /-	4,510 /-
	Bata Smart Nylon Socks Quality No. 931-1419	184 जोड़ी	15,000 /-	
2.	साफा चुनरी बंधेज लाल रंग, 107 से०मी० चौड़ाई व 9 मीटर लम्बाई, पक्के रंग के कड़प व चरक किये हुए	168 नग	63,000 /-	2,020 /-
	कॉटन साड़ी सेट (साड़ी, ब्लाउज व पेटिकोट)	20 सेट	38,000 /-	

निविदा की शर्तें :

1. जूते एवं मौजे हेतु केवल मात्र Bata Company के अधिकृत विक्रेता/डीलर/स्टाकिस्ट/अधिकृत शोरूम ही निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं।
2. निविदाएँ दिनांक 13.08.2018 से लेकर दिनांक 20.08.2018 तक कार्यालय समय में बेची जा कर दिनांक 21.08.2018 को दोपहर 02.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवं प्राप्त निविदाएँ दिनांक 21.08.2018 को सायं 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> एवं राजस्थान सरकार की वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकेगी।
3. निविदा की अन्य शर्तें/विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

आज्ञा से,

 09.08.18

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण),

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें

पृष्ठ संख्या - 1

1. निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद निविदाएँ दिनांक 21.08.2018 को दोपहर 02.00 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 21.08.2018 को सायं 04:00 बजे उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।
2. निविदादाता द्वारा अनुमानित व्यय मूल्य की 2 प्रतिशत राशि कार्यालय में धरोहर राशि के रूप में नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट 'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर' के नाम से देय होगा। निविदा प्रपत्र के साथ नगद की रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता फर्म निविदा प्रपत्र में वर्णित सामग्री स्वीकृत नमूनानुसार एवं वांछित क्वालिटी अनुसार होनी चाहिये। यदि सप्लाई की गई सामग्री निर्धारित मानक/निर्देशों के अनुसार नहीं होने की स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के त्रुटि सुधार कर/बदल कर देनी होगी अथवा उसका लागत मूल्य कार्यालय में जमा करवाना होगा।
4. साफे एवं साड़ी सेट की सप्लाई एक मुश्त रूप से की जायेगी तथा इससे सम्बन्धित बिल का भुगतान सम्पूर्ण माल की सप्लाई किये जाने पर ही किया जायेगा।
5. सम्बन्धित फर्म को सप्लाई आदेश का कार्य कार्यालय आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिवस के भीतर सम्पूर्ण करना होगा। निविदा में वर्णित दरों के सम्बन्ध में बाजार में किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि होती है तो इसकी जिम्मेवारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
6. निविदा में प्रस्तुत दरें सभी करों सहित शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप में लिख कर अंकित करनी होगी। कौट-छोट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरे पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। निविदा में प्रस्तुत दरों में सामान की निर्दिष्ट स्थान/राजस्थान उच्च न्यायालय, के भण्डारगृह तक पहुँचाने का व्यय (Handling Charges) भी सम्मिलित होगा।
7. सप्लाई आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर सप्लाई किये जाने वाले सामान की मूल कीमत की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में नकद अथवा जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करवानी होगी। जिसमें जमा धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति में किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त निर्धारित राशि 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक अनुबन्ध पत्र, जो कि कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में होगा, प्रस्तुत करना होगा।

 09.8.18

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें

पृष्ठ संख्या - 2

8. किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्यालय को होगा। विभाग न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता में निहित होगा।
9. सम्बन्धित फर्म को यदि पूर्व में किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी संस्था के हेतु यदि निविदा प्रपत्र में वर्णित सामग्री हेतु कोई कार्यादेश प्राप्त हुआ है अथवा ऐसे कार्य का अनुभव हो तो उसे अपने अनुभव प्रमाण-पत्र/ कार्यादेश की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। निदेशक इण्डस्ट्रीज एवं सप्लाय, राजस्थान के अर्न्तगत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत वस्तुओं की निविदा दे सकती है। उनको धरोहर राशि जमा कराने की छूट का लाभ नियमानुसार देय होगा। किसी अन्य सप्लाय के लिए जमा धरोहर राशि का समायोजन इस निविदा पेटे नहीं किया जावेगा।
10. उक्त कार्य सम्पादन में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा न ही कार्यालय की कोई जिम्मेदारी होगी। कार्य कार्यादेश में वर्णित समय अवधि (कार्यालय द्वारा निर्धारित समय) के भीतर ही करना होगा। विलम्ब से किये गये कार्य पर नियमानुसार शास्ति (Penalty) लगाई जायेगी।
11. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा स्वीकृत कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा।
12. सफल निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा सप्लाय की गई सामग्री/माल/वस्तु कार्यालय द्वारा स्वीकृत किये नमूने अनुसार ही हो तथा सामग्री/माल/वस्तु नकली/अन्य ब्राण्ड या मेक का होने की स्थिति में सामग्री/माल/वस्तु की खरीद द्वितीय न्यूनतम निविदादाता या स्थानीय बाजार से क्रय कर अन्तर की राशि सफल निविदादाता से वसूल की जायेगी।
13. कार्यालय द्वारा निविदा में वर्णित सामग्री के लिये आर.पी.पी.टी. नियम-73 के अनुसार मूल्य संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत तक पुनरादेश (Repeat Order) दिया जा सकता है, जिसकी सप्लाय सम्बन्धित फर्म मूल निविदा में वर्णित दरों पर करने के लिये बाध्य होगी।
14. विपत्रों का भुगतान केवल ECS के माध्यम से किया जायेगा तथा इस हेतु निविदादाता को वांछित सूचनाएँ, जैसे - PAN No., GSTIN, Bank A/C No., Name of Bank, Branch, IFSC Code, MICR Code, etc. उपलब्ध करवानी होगी। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना कम अथवा गलत पाये जाने पर होने वाली देरी अथवा नुकसान की जिम्मेवारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
15. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम -2013 के प्रावधान भी लागू होंगे।
16. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

मैंने/हमने उक्त वर्णित नियमों एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा मैं/हम उक्त नियम और शर्तों से पूर्णतया सहमत है। इस सम्बन्ध में भविष्य में किसी भी प्रकार के होने वाले विवाद के लिये मैं/हम स्वयं जिम्मेदार होंगे।

 09.08.18

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें

पृष्ठ संख्या – 1

1. निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद निविदाएँ दिनांक 21.08.2018 को दोपहर 02.00 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 21.08.2018 को सायं 04:00 बजे उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।
2. निविदादाता द्वारा अनुमानित व्यय मूल्य की 2 प्रतिशत राशि कार्यालय में धरोहर राशि के रूप में नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट 'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर' के नाम से देय होगा। निविदा प्रपत्र के साथ नगद की रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता फर्म निविदा प्रपत्र में वर्णित सामग्री स्वीकृत नमूनानुसार एवं वांछित क्वालिटी अनुसार होनी चाहिये। फर्म द्वारा जूते एवं मौजे हेतु दी गईं दरे सभी साइजों पर समान रूप से लागू होगी। यदि सप्लाइ की गई सामग्री निर्धारित मानक/निर्देशों के अनुसार नहीं होने की स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के त्रुटि सुधार कर/बदल कर देनी होगी अथवा उसका लागत मूल्य कार्यालय में जमा करवाना होगा।
4. निविदा तय होने पर जूते एवं मौजे के लिये पात्र कर्मचारियों की सूची नाम व पद सहित सम्बन्धित फर्म को उपलब्ध करवाई जायेगी तथा सूची में वर्णित कर्मचारियों को ही जूते एवं मौजे उपलब्ध करवाये जाने हैं। जूते एवं मौजे के बिलों का भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई रसीद को विपत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय में जमा करवाये जाने पर ही, किया जायेगा।
5. सम्बन्धित फर्म को सप्लाइ आदेश का कार्य कार्यालय आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर सम्पूर्ण करना होगा। निविदा में वर्णित दरों के सम्बन्ध में बाजार में किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि होती है तो इसकी जिम्मेवारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
6. निविदा में प्रस्तुत दरें सभी करों सहित शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप में लिख कर अंकित करनी होगी। काँट-छाँट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरे पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। निविदा में प्रस्तुत दरों में सामान की निर्दिष्ट स्थान/राजस्थान उच्च न्यायालय, के भण्डारगृह तक पहुँचाने का व्यय (Handling Charges) भी सम्मिलित होगा।
7. सप्लाइ प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर सप्लाइ किये जाने वाले सामान की मूल कीमत की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में नकद अथवा जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करवानी होगी। जिसमें जमा धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति में किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त निर्धारित राशि 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक अनुबन्ध पत्र, जो कि कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में होगा, प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदादाता फर्म को जूते एवं मौजे की सप्लाइ हेतु Bata के उत्पादक/अधिकृत विक्रेता/डीलर/स्टॉकिस्ट/अधिकृत शोरूम होने का प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना अनिवार्य है। 

दिनांक :

स्थान :

हरताक्षर निविदादाता

मय पता सील मोहर

क्रमशः पृष्ठ संख्या – 02

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें

पृष्ठ संख्या - 2

9. किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्यालय को होगा। विभाग न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता में निहित होगा।
10. सम्बन्धित फर्म को यदि पूर्व में किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी संस्था के हेतु यदि निविदा प्रपत्र में वर्णित सामग्री हेतु कोई कार्यादेश प्राप्त हुआ है अथवा ऐसे कार्यों का अनुभव हो तो उसे अपने अनुभव प्रमाण-पत्र/ कार्यादेश की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। निदेशक इण्डस्ट्रीज एवं सप्लाय, राजस्थान के अर्न्तगत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत वस्तुओं की निविदा दे सकती है। उनको धरोहर राशि जमा कराने की छूट का लाभ नियमानुसार देय होगा। किसी अन्य सप्लाय के लिए जमा धरोहर राशि का समायोजन इस निविदा पेटे नहीं किया जावेगा।
11. उक्त कार्य सम्पादन में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा न ही कार्यालय की कोई जिम्मेदारी होगी। कार्य कार्यादेश में वर्णित समय अवधि (कार्यालय द्वारा निर्धारित समय) के भीतर ही करना होगा। विलम्ब से किये गये कार्य पर नियमानुसार शास्ति लगाई जायेगी।
12. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा स्वीकृत कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा।
13. सफल निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा सप्लाय की गई सामग्री/माल/वस्तु कार्यालय द्वारा स्वीकृत किये नमूने अनुसार ही हो तथा सामग्री/माल/वस्तु नकली/अन्य ब्राण्ड या मेक का होने की स्थिति में सामग्री/माल/वस्तु की खरीद द्वितीय न्यूनतम निविदादाता या स्थानीय बाजार से क्रय कर अन्तर की राशि सफल निविदादाता से वसूल की जायेगी।
14. कार्यालय द्वारा निविदा में वर्णित सामग्री के लिये आर.पी.पी.टी. नियम-73 के अनुसार मूल्य निविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत तक पुनरादेश (Repeat Order) दिया जा सकता है, जिसकी सप्लाय सम्बन्धित फर्म मूल निविदा में वर्णित दरों पर करने के लिये बाध्य होगी।
15. विपत्रों का भुगतान केवल ECS के माध्यम से किया जायेगा तथा इस हेतु निविदादाता को वांछित सूचनाएँ, जैसे - PAN No., GSTIN, Bank A/C No., Name of Bank, Branch, IFSC Code, MICR Code, etc. उपलब्ध करवानी होगी। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना कम अथवा गलत पाये जाने पर होने वाली देरी अथवा नुकसान की जिम्मेवारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
16. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम -2013 के प्रावधान भी लागू होंगे।
17. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

मैंने/हमने उक्त वर्णित नियमों एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा मैं/हम उक्त नियम और शर्तों से पूर्णतया सहमत है। इस सम्बन्ध में भविष्य में किसी भी प्रकार के होने वाले विवाद के लिये मैं/हम स्वयं जिम्मेदार होंगे।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर